BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, PATNA

NOTIFICATION

No. 109 / Patna, dated 07.12.2023 /

It is notifed that the Bihar State Legal Services Authority, Patna has framed scheme for the welfare of transgender persons after due approval of Hon`ble Executive Chairman, Bihar State Legal Services Authority, Patna,

The Scheme namely BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY`S Scheme for Intergration of Transgender- person And their Rerhabilitation and providing Access to Justice, 20 23. and its Hindi version "बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पुनर्वास एवं न्याय तक पहुँच, योजना, 2023." is enforced from 11.11.2023,i.e., the date when the scheme was officially launched by BSLSA.

(Shilpee Soniraj)
Member Secretary
BSLSA
07/12/2023

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY's
Scheme for Integration of Transgender-person And their Rehabilitation and providing Access to Justice, 2023 (SITARA,2023)

STATEMENT OF OBJECT AND REASON

Preamble of the Legal Services Authorities Act, 1987, reads as "An Act to constitute Legal Services Authorities to provide free and competent Legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing Justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organise Lok Adalat to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity."

Very often intended beneficiaries of social security measures are unable to access the benefits due to severe lack of capabilities, social structures, economic

marginalisation and exploitation, discrimination with transgender person, social values, cultural norms, etc. In this context, the role of legal services authorities must be a proactive one where measures designed to eradicate discrimination with transgender person must be brought to the attention of the intended beneficiaries. Therefore, this scheme lays down a mechanism for identification of social security measures for eradicating discrimination with transgender person, a framework for facilitating access to such measures by intended beneficiaries and a model for effective review of these processes. This scheme has been framed keeping in view that discrimination with transgender person is a social evil. Multidimensional concern include issues like health (including mental health), housing, nutrition, employment, pension, mortality, access to education, access to Justice, sanitation, subsidies and basic services, social exclusion, discrimination, etc. Bihar State Legal Services Authority is cognizant of the fact Transgender community is the one of the most vulnerable and marginalised groups of society.

Therefore, in order to monitor the proper implementation of Transgender Person (Protection of Rights) Act, 2019, Transgender Person (Protection of Rights), Rules, 2020 and to take initiatives for the overall welfare of the Transgender Persons, Bihar State Legal Services Authority (BSLSA), took initiate to formulate a Scheme for the State/ District Legal Services Authorities of Bihar to work in a appropriate manner, so that, all the stake holders may understand their role and responsibilities and work accordingly.

1. **NAME OF THE SCHEME:**

(i). The Scheme shall be called the BSLSA (**Scheme for Integration of Transgender-person And their Rehabilitation and providing Access to Justice), 2023. (in short –SITARA, 2023)**

(ii). This Scheme shall extend to entire Bihar State.

(iii). It shall be effective from the date of notification by Bihar State Legal Services Authority.

2. STATUTORY PROVISIONS/PRECEDENTS/MINUTES

(i). Article 21: Protection of life and personal liberty: -No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

(ii). Article 39A: Equal Justice and Free Legal Aid: - The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

(iii). Guidelines of Hon’ble Supreme Court in National Legal Services Authority vs. Union of India and Others (2014) 5 SCC 438;

(iv). Clause 19 of Bihar State Legal Services Authority Regulations, 1998 vide amendment 2017 wherein Transgender person has been included in the category of person who are entitled for free Legal Services.

(v). Transgender Protection Act, 2019;

(vi). Transgender Protection Rules 2020; and

(vii). Meeting dated 18.08.2023 was held under the chairmanship of Hon’ble Executive Chairman, BSLSA with Addl. Chief Secretary, Department of Industries, Secretary and Director, Social Welfare Department, Inspector General, Prison, National Skill Development Corporation, Bihar Skill Development Mission and Member Secretary, BSLSA. The issue no. 1 was “Protection Of Rights Of Transgender Persons And Their Welfare” and it was resolved that:-

- Social Welfare Department will call and procure the models for residence of Transgender Persons in Bihar;
- Social welfare Department will conduct a state-wide survey for identification of Transgender Persons in Bihar to be completed within 2 months in a time bound manner and will share the interim reports fortnightly in the meanwhile with BSLSA;
- One Unit of small-scale industry for Transgender Person will start in Industrial Area in Patna and Muzzaffarpur districts each within

4 weeks. Space and financial support will be provided by the Department of industries, Govt. of Bihar; and

- The Social welfare Department will further work on resolving the issues of discrepancies etc. of Gender Identity for transgender Persons in Birth Certificates while filing application forms for different purposes after going sex assignment surgery etc.

3. DEFINITIONS

(i). "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);

(ii). "Legal Services Institution" means the Supreme Court Legal Services Committee, a State Legal Services Authority, the High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority or the Sub-divisional Legal Services Committee, as the case may be;

(iii). "Panel Lawyer" means a legal practitioner empanelled as a Panel lawyer under regulation 8 of the NALSA (Free & Competent Legal Services) Regulations 2010;

(iv). "Para-Legal Volunteer" means a Para-legal volunteer trained under the 'National Legal Services Authority Scheme for Para Legal Volunteers' and empanelled by a Legal Services Institution;

(v). "Secretary" means the Secretary of the Legal Services Institution;

(vi). "Transgender Person" as defined under The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.

4. STATE LEVEL CORE COMMITTEE FOR TRANSGENDER PERSON.

(i). There shall be a State Level Core Committee for Transgender Person for policy decisions as well as monitoring and mentoring purpose. The State Level Core Committee for Transgender Person, under the Chairmanship of Hon'ble Executive Chairman, BSLSA may consist of officials/nominee of following departments:-

i. Principal Secretary, Social welfare Department;
ii. ADGP Weaker Section;
iii. I. G., Prison Department;
iv. Department of Industry;
v. Education Department;
vi. Skill Development Corporation/Mission
vii. Health Department

viii. BSACS
ix. Labour Department
x. Representatives of Transgender Person.
xi. Member Secretary, BSLSA

(ii). The State Level Core Committee for Transgender Person shall convene meeting either in physical or virtual mode, every three months, review the implementation of resolutions, and take decisions for the welfare of Transgender Person and their inclusivity in mainstream.

(iii). The Member secretary shall place the consolidated quarterly report based on monthly reports district-wise received from District Legal services Authorities on the following matters (Annexure –A):

- Number of Transgender Person identified;
- Housing/residence provided to Transgender Persons;
- Number of Identity Cards prepared under Transgender Person (Protection of Rights) Act, 2019;
- Number of FIR/Criminal Complaint filed by Transgender Person;
- Number of Transgender Person admitted in Educational institutions of all level;
- Number of Transgender Person received vocational training/skill development;
- Number of Transgender Person given employment;
- Number of Transgender Person undergone sex replacement surgery;
- Number of Awareness programs conducted;
- Number of beneficiaries
- Any Specific problem to be placed before State Level Committee.

(iv). Bihar State Legal Services Authority shall prepare the digital platform for uploading the reports and other programs by the District Legal Services Authority.

5. <u>DISTRICT LEVEL WORKING COMMITTEE FOR TRANSGENDER PERSON</u>

(i). There shall be District Level Working Committee for Transgender Person under the Chairmanship of District & Sessions Judge -cum-Chairman, the District Legal Services Authority for implementation of directions of State Level Core Committee for Transgender Person. Its primary duty would be to bring about coherence and cooperation amongst the various departments and functionaries for optimal result.

(ii). The District Legal Services Authority's Chairman shall be the Chairman of District Level Working Committee for Transgender Person and other members may shall include:

1) District Magistrate
2) Suptd.of Police
3) Jail Suptd.
4) Distt. Social Welfare Department
5) Distt. Industry Department
6) Distt. Education Department
7) Skill Development Corporation/Mission
8) Civil Surgeon
9) Distt. Labour Department
10) Representatives of Transgender Person.
11) Secretary, the District Legal Services Authority;

(iii). It shall meet on monthly basis on time and date fixed by the District Level Core Committee. District Level Core Committee shall send progress report on monthly basis to Bihar State Legal Services Authority for placing before the State Level Core Committee for Transgender Person for further needful.

6. FUNCTIONS OF LEGAL SERVICES INSTITUTIONS UNDER SCHEME

The main functions under the Scheme are as follows:

(i). To ensure access to basic rights and benefits afforded to Transgender Person;

(ii). To strengthen legal aid and support services at the state, district and taluka/sub-divisional levels for persons belonging to Transgender Person in accessing welfare Schemes;

(iii). To spread awareness about the welfare schemes through the members of the Legal Services Institutions with the help of panel of lawyers, social workers, Para-legal volunteers, and students in legal aid clinics/ Literacy clubs;

(iv). To create a database of all the existing central or state schemes, policies, regulations, policy directives, conventions, rules, andreports available concerning welfare of Transgender Person;

(v). To develop effective coordination and interface with all government bodies or functionaries, institutions, authorities, NGOs and other organisations concerning or entrusted with the responsibilities relating to welfare of socially/ economically weaker sections of the society.

7. TRAINING PROGRAMME/WORKSHOP FOR PANEL ADVOCATES and PARA LEGAL VOLUNTEERS

Bihar State Legal Services Authority /District Legal Services Authority shall coordinate with Social Security Department & Social Welfare Department to undertake and organise training and orientation programs at State Level, District level, Block/Village level for panel lawyers, Para-legal volunteers, officers of departments dealing with welfare schemes, student volunteers in legal aid clinics/ literacy Club for their skill enhancement and for developing a sense of deeper engagement amongst them for implementing this Scheme.

8. COURT BASED LEGAL SERVICES

(i). Bihar State Legal Services Authority shall endeavour to provide legal aid to Transgender Person. The Patna High Court Legal Services Committee/ District Legal Services Authority shall ensure that timely Legal Aid is provided to any Transgender Person.

(ii). Every District Legal Services Authority shall maintain proper register and case monitoring of the cases relating to Transgender Person.

(iii). Every District Legal Services Authority shall ensure that early access to justice should be provided to Transgender Person so that they can

approach the Police if any offence is committed and transgender Person is the victim.

9. **DEDICATED HELPLINE NUMBER AND EMAIL**

(i). Bihar State Legal Services Authority shall issue one dedicated Helpline number and E-mail for the Transgender Person.

(ii). The helpline number shall be manned by Transgender person and the roster of duty shall be prepared by District level Working Committee for Transgender Person.

(iii). The dedicated e-mail shall be created by Bihar State Legal Services Authority and any grievance received by any Transgender Person. The e-mail shall be considered by Bihar State Legal Services Authority and concerned the District Legal Services Authority shall be directed to take immediate action and provide action Taken report.

10. **AWARENESS / PROPAGATION ABOUT THE SCHEME**

(i). Bihar State Legal Services Authority shall propagate this Scheme through Print and Electronic medium including Doordarshan, Channels, Radio and FM Channels. District Legal Services Authority shall take every endeavour for wide publicity of this Scheme so that no person in need of the benefit under the Scheme may remain unaware and unattended.

(ii). State Level Core Committee for Transgender Person shall direct the concerned department to prepare pamphlets; promotional material, audio-video awareness material and same shall be sent to all the District Legal Services Authority for proper awareness.

****

Annexure A

Report to be submitted on monthly basis by the District Legal Services Authority on District Level Working Committee for Transgender Person

i. Number of Transgender Person identified;

i. Housing/residence provided to Transgender Persons;

ii. Number of Identity Cards prepared under Transgender Person (Protection of Rights) Act, 2019;

iii. Number of FIR/Criminal Complaint filed by Transgender Person;

iv. Number of Transgender Person admitted in Educational institutions of all level, scholarships and hostel facility, if provided;

v. Number of Transgender Person received vocational training/skill development;

vi. Number of Transgender Person given employment;

vii. Number of Transgender Person undergone sex replacement surgery;

viii. Number of Awareness programs conducted;

ix. Number of schemes under Central/State Government and Other Local bodies for transgender person and the number of beneficiaries;

x. Any Specific issue to be placed before State Level Committee.

Sd/-

Secretary

District Legal Services Authority.

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पूनर्वास एवं

न्याय तक पहुँच,योजना, 2023

(सितारा 2023)

योजना का उदेश्य एवं विवरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गो को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा उप्लब्ध करायी जाए एवं आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए और लोक अदालतों का गठन किया जाए ताकि विधि संगत न्याय समानता के अधार पर सुनिश्चित किया जाए ।

अधिकांश रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आशयित लाभार्थी व्यक्ति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन, शोषण, सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक पद्धितियों, उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव एवं पक्षपात इत्यादि के कारणवश इनका लाभ नही ले पातें हैं। इसी संदर्भ में, विधिक सेवा प्राधिकरण की भुमिका अति सक्रिय होनी चाहिए की उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव की रोकथाम हेतु परिकल्पना किये गये उपाय, आशयित लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। इसलिए यह योजना उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव की रोकथाम एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान के लिए एक तंत्र, आशयित लाभार्थियों द्वारा ऐसे उपायों तक पहुँच की सुविधा के लिए एक रूपरेखा और इन प्रक्रियाओं की प्रभावी समीक्षा के लिए एकमाध्यम के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करेगें। यह योजना इस आधार पर तैयार की गई है कि उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह एक सामाजिक बुराई है। बहुआयामी चिंताओं में स्वस्थ (मानसिक स्वास्थ सहित), आवास, पोषण, राजगार, पेंशन, मत्यु दर, शिक्षा तक पहुंच, न्याय तक पहुंच,

स्वच्छता, सब्सिडी और बुनियादी सेवाओं, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव आदि जैसे विषय शामिल हैं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस तथ्य से अवगत हैं कि उभलिंगी समुदाय समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक है।

इसलिए, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण,) नियम, 2020 के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करने और उभयलिंगी व्यक्तियों के समुचित कल्याण के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एक पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सभी हितधारक अपनी अपनी भुमिका और जिम्मेंदारियों को समझ सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें।

1. योजना का नाम :–

(i). इस योजना का नाम ''उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पूनर्वास एवं न्याय तक पहुॅच, योजना, 2023''(सितारा 2023) है।

(ii). इस योजना का विस्तार पूरे बिहार राज्य में लागू होगा।

(iii). ये योजना बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

2. वैद्यानिक प्रावधान/न्यायिक आदेश /कार्यवृत्त

(i). अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्धारा स्थापित प्रकिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्था नहीं।

(ii). अनुच्छेद 39(ए): समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिकतंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्धारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।;

(iii). राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित न्यायिक आदेश द्वारा दिशानिर्देश (2014) 5 ए.सी.सी. पृष्ठ 438;

(iv). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के खंड 19 में वर्ष 2017 में संशोधन के माध्यम से उभयलिंगी व्यक्तों को नि:शुल्क विधिक सेवा की श्रेणी में शामिल किया है;

(v). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019;

(vi). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020;

(vii). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिनांक 18.08.2023 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, औधोगिक विभाग, प्रधान सचिव,निदेशक, समाज कल्याण विभाग, महानिरीक्षक कारा विभाग, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, बिहार कौशल मिशन एवं सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उपस्थित थे। इस बैठक में विभिन्न संकल्प लिए गए। इन संकल्पों में संकल्प संख्या 01 उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारो का संरक्षण और उनकी देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित संकल्प लिए गये :

1. समाज कल्याण विभाग उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए घर का मॉडल उपलब्ध करवाएगें।
2. समाज कल्याण विभाग दो महिने के अन्दर पूरे बिहार में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वे करेगा और दो हप्तें में अंतरिम रिपोर्ट बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को समर्पित करेगा।
3. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक लघु उद्योग पटना एवं मुजफ्फरपुर उद्यौगिक क्षेत्र में बनाया जायेगा, जिसके लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार भूमि एवं वित्तीय मदद करेगें ।
4. समाज कल्याण विभाग इस बात पर भी ध्यान देगा कि उभयलिंगी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण एवं शल्य चिकित्सा के बाद उनके प्रमाण पत्र में कोई विसंगति न हो।

3. <u>परिभाषाएं:</u>

(i). ''अधिनियम'' का अर्थ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39);

(ii). ''विधिक सेवा संस्थान'' का अर्थ है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अनुमण्डल विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो;

(iii). ''पैनल अधिवक्ता'' का अर्थ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम 2010 के विनियमन 8 के तहत पैनल अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध अधिवक्ता;

(iv). ''अर्ध–विधिक स्वयंसेवक (पी.एल.वी)''का अर्थ है जो व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार योजना' के तहत प्रशितिक्षत और एक विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध अर्ध–विधिक स्वयंसेवक (पी.एल.वी) हो ।

(v). ''सचिव'' का अर्थ विधिक सेवा प्राधिकार या समिति का सचिव हो ;

(vi). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित '' उभयलिंगी व्यक्ति''।

4. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय कोर समिति।

(i). नीतिगत निर्णयों के साथ–साथ निगरानी और सलाह देने के उद्देश्य से उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक राज्य स्तरीय कोर समिति होगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित विभागो के अधिकारी/नामित व्यक्ति शामिल हो सकते हैः

1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग;
2) एडीजीपी कमजोर वर्ग
3) महानिरीक्षक, कारा विभाग
4) राज्य उधोग विभाग
5) राज्य शिक्षा विभाग
6) कौशल विकास निगम/मिश़न
7) राज्य स्वास्थ्य विभाग
8) बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (BSACS)
9) राज्य श्रम विभाग
10) उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रतिनिधि, एवं
11) सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

(ii). राज्य स्तरीय कोर समिति की बैठक हर तीन महीने में होगी, संकल्पों के कार्यन्यवन की समीक्षा और उभयलिंगी व्यक्यिों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निर्णय लेगी।

(iii). सदस्य सचिव निम्नलिखित जानकारी **(अनुलग्नक–क)** पर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकारों से ज़िलेवार प्राप्त मासिक रिपोर्टों के आधार पर समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय कोर समिति के समक्ष पेश करेगें:

- उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तैयार किए गए पहचान पत्रों की संख्या ;
- उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी/आपराधिक शिकायत की संख्या;
- सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्यिों की संख्या ;
- रोजगार दिए गए उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- लिंग प्रतिस्थापन सर्जरी कराने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
- लाभार्थियों की संख्या;

- राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई विशिष्ट समस्या। .

(iv). ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त रिपोर्ट और अन्य कार्यक्रमों को अपलोड करने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगा।

5. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जिला स्तरीय कार्य समिति।

(i). हर ज़िला में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ज़िला स्तरीय कार्य समिति होगी। राज्य स्तरीय कोर समिति के निर्देशों के कार्यान्वयन एवं इष्टतम परिणाम के लिए विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य और सहयोग लाना इसका प्राथमिक कर्तव्य होगा।

(ii). ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी और निम्नलिखित सदस्यों शामिल हो सकते हैं;

1) ज़िला पदाधिकारी
2) पुलिस अधिक्षक
3) कारा अधीक्षक
4) ज़िला समाज कल्याण विभाग
5) ज़िला उधोग विभाग
6) ज़िला शिक्षा विभाग
7) कौशल विकास निगम/मिशन
8) सिविज सर्जन
9) ज़िला श्रम विभाग
10) उभयलिंगी व्यक्ति के प्रतिनिधि, एवं
11) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार.

(iii). यह बैठक मासिक आधार पर जिला स्तरीय कार्य कमेटी द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर होगी। उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, एकीकरण, पूनर्वास एवं न्याय तक पहुॅच के लिए किये गये कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय कोर समिति को भेजेगी।

6. योजना के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य

(i). उभयलिंगी व्यक्ति को दिए जाने वाले बुनियादी अधिकारों और लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ii). कल्याणकारी योजनाओं तक पहुॅचने में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित व्यक्यिों के लिए राज्य जिला और उप–मंडल स्तर पर विधिक सहायता और विधिक सेवाओं को मजबूत करना;

(iii). विधिक सहायता केन्द्र / साक्षरता क्लबों में अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्ध विधिक स्वयंसेवकों और छात्रों के पैनल की मदद से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना;

(iv). उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित सभी केंद्रीय या राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति, निर्देशो, संकल्प, नियमों और रिपोर्टो का डेटाबेस बनाना;

(v). समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के कल्याण एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय विकसित करना।

7. अधिवक्ता एवं अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय बनाकर पैनल अधिवक्ता, अर्ध–विधिक स्वयंसेवकों, कल्याणकारी योजनाओं से निपटने वाले विभागों के अधिकारियों, कानुनी सहायता क्लीनिकों/साक्षरता क्लब में छात्र स्वयंसेवक के कौशल विकास के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक/ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेगें। इस योजना को लागू करने के लिए उनके बीच गहन जुड़ाव की भावना विकसित करना ही लक्ष्य होगा।

8. न्यायालय संबंधित विधिक सेवाएँ।

(i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों को न्यायालय संबंधित विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी उभयलिंगी व्यक्ति को समय पर विधिक सहायता प्रदान की जाए।

(ii). प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार उभयलिंगी व्यक्ति से संबंधित मामलों का उचित निगरानी बनाए रखेगा।

(iii). प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि उभयलिंगी व्यक्तियों को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान की जाए ताकि यदि कोई अपराध होता है और उभलिंगी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह पुलिस से संपर्क कर सकें।

9. समर्पित हेल्पलाईन नंबर और ई–मेल।

(i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाईन नंबर और ई–मेल जारी करेगा।

(ii). हेल्पलाईन नंबर उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जायेगा और ड्यूटी का रोस्टर उभयलिंगी व्यक्ति के लिए जिला स्तरीय कार्य समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(iii). समर्पित ई–मेल बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बनाया जाएगा और किसी भी उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी शिकायत होगी। ई–मेल पर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार को तत्काल कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

10. <u>योजना के बारे में जागरूकता/प्रचार–प्रसार</u>

(i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार इस योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दूरदर्शन, निजी चैनल, रेडियो, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अख़बार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस योजना का प्रचार करेगा, ताकि योजना के तहत लाभ की आवश्यकता वाला कोई भी व्यक्ति उपेक्षित न रहे।

(ii). उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय कोर समिति संबंधित विभाग से प्रचार सामग्री, ऑडियो–विडियों जागरूकता सामग्री तैयार करने का निर्देश देगी और इसे उचित जागरूकता के लिए सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा जाएगा।

————————

<u>अनुलग्नक–क</u>

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उभलिंगी व्यक्तियों के लिए जिला स्तरीय कार्य समिति के समक्ष मासिक प्रतिवेदन निम्नलिखित जानकारी पर प्रस्तुत की जाएगी :–

- उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या,
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तैयार किए गए पहचान पत्रों की संख्या;
- उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी/आपराधिक शिकायत की संख्या;
- सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवास/छात्रवृत्ति वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या,
- व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्यिों की संख्या;
- रोजगार दिए गए उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- लिंग प्रतिस्थापन सर्जरी कराने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
- केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं स्थानीय निकायों के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्यिों के लिए योजनाएँ एवं लाभार्थीयों की संख्या,
- राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई विशिष्ट समस्या। .

हस्ताक्षर
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार